

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 फरवरी 2023—माघ 20, शक 1944

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2023

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016-139.—जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी के द्वारा निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (नौ) के अंतर्गत राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है:—

1. श्री केदारनाथ शुक्ल,
विधायक,
कमल कुटी, कोटहा,
वार्ड नं. 15, सीधी,
जिला सीधी (म. प्र.).
2. श्रीमती मनीषा सिंह,
विधायक,
ग्राम व पोस्ट-टिकुरी,
तहसील जैतपुर,
जिला शहडोल (म. प्र.)
3. श्री हर्ष यादव,
विधायक,
विजयश्री गैस सर्विस,
मेन रोड, देवरी,
जिला सागर (म. प्र.)

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव.